दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

न/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3926

RGM
31/8/17 106

1—रामप्रकाश तनय नंदकिशोर ब्राम्हण निवासी ग्राम पठराई तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म.प्र.

2—हरीदास तनय नंदकिशोर ब्राम्हण निवासी ग्राम पठराई तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म.प्र.

——पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1—घनश्यामदास तनय हल्के लोधी निवासी ग्राम पठराई तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म.प्र.

2—हरचरण तनय हल्के लोधी निवासी ग्राम पठराई तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म.प्र.

3—मध्यप्रदेश शासन

——उत्तरवादीगण

S/a ग्राह्य
16-10-17

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 प्रतिकूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण कमांक 416/अ—19(4)/1995—96 आदेश दिनांक 16/08/1996 के विरूद्व :—

महोदय

उपरोक्त पुनरीक्षण के आधार व कारण निम्न प्रकार है :—

1— यह कि भूमि खसरा नंबर 33 रकबा 0.932 हेक्टेयर लगानी 4.50 रूपंये स्थित ग्राम पठराई तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म.प्र. मे स्थित है जिस पर उपरोक्त पुनरीक्षणकर्तागण का अरसा 30—40 वर्ष पूर्व से पुस्तैनी कब्जा चला आ रहा है और उपरोक्त भूमि से ही पुनरीक्षणकर्ताओ के परिवार का गुजारा होता है।

2— यह कि उपरोक्त पुनरीक्षणकर्तागण उपरोक्त भूमि के अतिकमण के सम्बंध मे लगातार धारा 248 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत वर्ष 2006 तक अर्थदण्ड जमा करते चले आ रहे है घटना दिनांक 10/08/2017 की है कि उपरोक्त उत्तरवादी कमांक 1 व 2 पुनरीक्षणकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर लाठी लुहांगी लेकर आये और पुनरीक्षणकर्तागण को धमकाने लगे कि यह जमीन मेरी है और मुझे पट्टा मिला हुआ है जबकि उपरोक्त भूमि के

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा./2017/3926 रामप्रकाश विरूद्ध घनश्याम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 416/अ-19(4)/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 16-08-1996 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-10-2017 को अपील याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

	सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 4.1.19	